तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 20/2025 (2025/66) अनवान मगनाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-1-2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम शिवगांव तहसील झंवर जोधपुर में खसरा संख्या 487/398 की कुल रकबा 7.5190 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार मालिक काबिज है एवं काश्त करता है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी की कृषि भूमि के पड़ौसी खातेदार भूराराम जो कि प्रार्थी के उक्त खसरे के उत्तर दिशा के खातेदार है उनके द्वारा भी माननीय न्यायालय में खसरा संख्या 398 व 399 की पत्थरगढी करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं इसी प्रकार से प्रार्थी के खसरे के दक्षिण दिशा के खातेदार करनाराम वगैरा द्वारा भी खसरा संख्या 400 व 400/1 से 400/7 एवं 401/ व 408 व 408/1 की पत्थरगढी करवाने बाबत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कि अनवान करनाराम वगैरा बनाम गोपाराम वगैरा, प्रार्थना पत्र संख्या 38/2022 हैं एव भूराराम बनाम सरकार प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 है। भूराराम एवं करनाराम वगैरा प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 487/398 के पड़ौसी खातेदार है जिसके द्वारा पहले से ही अपने खसरों की पत्थरगढी करवाने बाबत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर रखे हैं। प्रार्थी खसरा संख्या 487/398 की कुल रकबा 7.5190 हैक्टेयर का एकल खातेदार है जिसकी माठों को लेकर अनावश्यक ही भूराराम एवं करनाराम वगैरा विवाद कर रहें है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने कब्जे अनुसार काबिज हैं एवं अपने खातेदारी की खसरा संख्या 487/398 की कुल रकबा 7.5190 हैक्टेयर की मौके पर काबिज अनुसार स्थायी पत्थर रोपाकर अपने खातेदारी की कुल रकबा 7.5190 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि भूराराम एवं करनाराम वगैरा किसी प्रकार से अनावश्यक विवाद प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 487/398 की कुल 7.5190 हैक्टेयर के सम्बन्ध में नहीं करें। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम शिवगांव तहसील झंवर जोधपुर में खसरा संख्या 487/398 की कुल रकबा 7.5190 हैक्टेयर कृषि भूमि की स्थायी पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः इन परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की एकल खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम शिवगांव तहसील झंवर जोधपुर में खसरा संख्या 487/398 की कुल रकबा 7.5190 हैक्टेयर की पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में बाद सीमांज्ञान करवाकर बाद पत्थरगढी की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार झंवर को दिया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	